

मराठा आरक्षण वधियक

प्रलिस के लयि:

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडा वर्ग (SEBC), [मराठा आरक्षण](#), [अनुच्छेद 15](#)

मेन्स के लयि:

आरक्षण और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्गों से संबंधित सांविधानिक उपबंध

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र वधिनसभा ने हाल ही में **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्गों के लयि महाराष्ट्र राज्य आरक्षण वधियक, 2024** पारित कयि जसिके तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पछिडे श्रेणयिों के अंतरगत नौकरयिों एवं शकिषा में [मराठा समुदाय](#) के लयि 10% के आरक्षण का प्रावधान कयि गयि।

मराठा आरक्षण वधियक से संबंधित प्रमुख बडि कयि हैं?

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्गों के लयि महाराष्ट्र राज्य आरक्षण वधियक, 2024 को महाराष्ट्र राज्य पछिडा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार कयि गयि है।
 - इस रिपोर्ट द्वारा आरक्षण की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्गों के रूप में पहचाना गयि।
- यह वधियक भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 342A (3)** के तहत **मराठा समुदाय** को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्ग के रूप में नरिदषिट करता है। यह संविधान के **अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4)** के तहत इस वर्ग के लयि आरक्षण प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 342A (3) के अनुसार प्रत्येक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्गों (Socially and Educationally Backward Class- SEBC)** की एक सूची तैयार कर उसे बनाए रख सकता है। ये सूचयिों संबंध वषिय की केंद्रीय सूची से भनिन हो सकती हैं।
 - अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के कसिी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिडे वर्ग अथवा अनुसूचित जातयिों तथा अनुसूचित जनजातयिों की उन्नति के लयि वशिष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
 - अनुच्छेद 15(5) राज्य को **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों** के अतरिकित, पछिडे वर्गों, अनुसूचित जातयिों और अनुसूचित जनजातयिों के लयि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
 - अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के कसिी भी पछिडे वर्ग के पक्ष में **नयुक्तयिों या पदों के आरक्षण के लयि प्रावधान** करने का अधिकार देता है, जसिका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतनिधित्व नहीं है।
- वधियक यह सुनिश्चित करता है कि **करीमी लेयर का सदिधांत लागू** हो, आरक्षण को **उन मराठाओं तक** सीमति कर दयि गयि है जो **करीमी लेयर श्रेणी में नहीं हैं**, जसिसे **समुदाय के भीतर परम हाशयि पर रहने वाले लोगों** को नशाना बनाया जा सके।
- आयोग की रिपोर्ट में **सर्वोच्च नयायालय (इंदरि साहनी नरिणय (वर्ष 1992))** द्वारा नरिधारित 50% सीमा से ऊपर मराठा समुदाय को आरक्षण को उचित ठहराते हुए **"असामान्य परिस्थितयिों और असाधारण स्थितयिों"** पर प्रकाश डाला गयि।
 - महाराष्ट्र में वर्तमान में 52% आरक्षण है, जसिमें **SC, ST, OBC, वमिक्त घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों** एवं अन्य जैसी वभिनिन श्रेणयिों शामिल हैं। मराठों के लयि 10% आरक्षण के साथ, राज्य में कुल आरक्षण अब 62% तक पहुँच जाएगा।

मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि

- नारायण राणे समति:
 - वर्ष 2014 में, नारायण राणे के नेतृत्व वाली समतिने चुनाव से पहले मराठों के लयि 16% आरक्षण की सफिराशि की, जसि बाद में बॉम्बे

हाई कोर्ट ने चुनौती दी और रोक लगा दी।

■ गायकवाड़ आयोग:

- वर्ष 2018 में, महाराष्ट्र सरकार ने गायकवाड़ आयोग के नषिकर्षों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़ा वर्ग (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) अधिनियम बनाया, जिसमें 16% आरक्षण दिया गया।
 - बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शक्ति में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया।
- इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 50% कोटा सीमा से अधिक को उचित ठहराने के लिये अपर्याप्त अनुभवजन्य डेटा का हवाला देते हुए, मई 2021 में कोटा को पूरी तरह से रद्द कर दिया।
 - इंदिरा साहनी नरिणय, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 50% का न्यम होगा, केवल कुछ असामान्य और असाधारण स्थितियों में दूर-दराज़ के क्षेत्र की आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिये 50% न्यम में छूट दी जा सकती है।

■ महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग:

- मराठा आरक्षण मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये न्यायमूर्ति सुनील बी शुकरे (सेवानवृत्त) के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग की स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी।

- शुकरे आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जबकि उनमें से 84% उन्नत नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इतने बड़े छिड़े समुदाय को OBC वर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता है।
- आयोग अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गरीब एवं भूमिहीन वभिजन को मराठा समुदाय की दुरदशा का कारण बताता है। इसके अतिरिक्त, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राज्य में आत्महत्या करने वाले 94% किसान मराठा समुदाय से हैं।
- आयोग सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को समुदाय के पछिड़ेपन के लिये ज़िम्मेदार मानता है।
- यह सरकारी नौकरियों और वकिसति क्षेत्रों में मराठा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये अतिरिक्त आरक्षण की सफारिश करता है।

मराठा आरक्षण वधियक के पक्ष और वपिक्ष में क्या तर्क हैं?

■ पक्ष में तर्क:

○ सामाजिक-आर्थिक पछिड़ापन:

- शुकरे आयोग का तथ्यात्मक शोध मराठा समुदाय के समक्ष आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें गरीबी तथा हाशिए पर रहने से ऊपर उठाने के लिये आरक्षण की आवश्यकता का समर्थन करता है।
 - मराठों के बीच किसान आत्महत्याओं का उच्च प्रतिशत उनके आर्थिक संकट की गंभीरता और समुदाय के उत्थान के लिये लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

○ प्रतिनिधित्व:

- मराठों को उनके पछिड़ेपन के कारण ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा के अवसरों से बाहर रखा गया है। सरकारी नौकरियों तथा शक्ति में आरक्षण से वभिनिन क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी में वृद्धि हो सकती है, जिससे समावेशी विकास में योगदान प्राप्त हो सकता है।

■ मराठा आरक्षण के वपिक्ष में तर्क:

○ कानूनी व्यवहार्यता:

- नए वधियक की न्यायिक जाँच का सामना करने की क्षमता के बारे में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से 50% सीमा से परे आरक्षण के वसितार का समर्थन करने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी के कारण मराठा आरक्षण को अमान्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व नरिणय के प्रकाश में। ऐसा इसलिये है क्योंकि मराठा आरक्षण के पूर्व प्रयासों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः उच्च न्यायालयों में असफल रहे।

○ कुनबी प्रमाण-पत्र विवाद:

- OBC आरक्षण के लिये पात्र "ऋषिसोयार" (कुनबी वंश वाले मराठों के वसितारति संबंधी) को कुनबी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना ने विवाद को जन्म दिया।
 - वपिक्षी दलों ने नए आरक्षण की व्यवहार्यता और मौजूदा OBC आरक्षण पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं।

○ मराठा समुदाय के भीतर असंतोष:

- मराठा समुदाय के भीतर कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने OBC श्रेणी में शामिल किये जाने को प्राथमिकता देते हुए अलग आरक्षण पर असंतोष व्यक्त किया।

○ व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता:

- हालाँकि आरक्षण तात्कालिक चिंताओं का समाधान कर सकता है, लेकिन यह मराठों के पछिड़ेपन के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है। सतत विकास के लिये शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित 50% कोटा सीमा से परे आरक्षण को उचित ठहराने के लिये मज़बूत अनुभवजन्य डेटा प्रदान करके सुनिश्चित करें कि मराठा आरक्षण वधियक कानूनी रूप से मज़बूत है और न्यायिक जाँच का सामना करता है।
- सरकार को एकीकृत नीतियाँ अपनानी चाहिये जो मराठों के लिये समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु लक्षित कल्याण कार्यक्रमों, कौशल

वकिस पहल और बुनयिदी ढाँचा परयोजनाओं के साथ आरक्षण को जोड़ती हैं।

- पछिड़ेपन के मूल कारणों को संबोधति करने वाली सतत् वकिस पहल को अल्पकालकि वचिरों पर प्राथमकिता दी जानी चाहयि, जसिका लक्ष्य सभी समुदायों के लयि समावेशी वकिस और सामाजकि न्याय है।
- ऐतहिासकि अन्याय को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई उपायों के लयि समझ तथा समर्थन को बढ़ावा देकर सामाजकि एकजुटता एवं समावेशति को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कया राष्ट्रीय अनुसूचति जातिआयोग (एन. सी. एस. सी.) धारमकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लयि संवैधानकि आरक्षण के क्रयान्वयन का प्रवरतन करा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/maratha-reservation-bill>

